

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) एसीपी/अलेसे-III/2227

दिनांक :- 14-08-18

श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ लेखाकार
कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-II
विधि विभाग, उदयपुर

विषय:- प्रथम ए.सी.पी की स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दो से अधिक संतान होने के कारण आपको पूर्व में स्वीकृत प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी को विभाग द्वारा निरस्त कर दिया था।

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रथम ए.सी.पी. के लिए आवेदन पत्र निर्धारित पत्र में संतान धोषणा एवं सन्तोष जनक सेवा आदि का प्रमाण पत्र, पूर्ति करा कर अपने कार्यालयाध्यक्ष के मार्फत विभाग को प्रेषित करावें ताकि वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015/01.06.2017 के अनुसरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) एसीपी/अलेसे-III/2227

दिनांक :- 14-08-18

- 1 न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-II, विधि विभाग, उदयपुर।
- 2 उपविधि परामर्शी, निदेशालय।
- 3 श्री कमलेश पारीक, प्रभारी अधिकारी, कार्यालय हाजा(आपके यू.ओ.नोट क्रमांक एफ. 2/555/2014/176 दिनांक 07.05.2018) को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग के उपरोक्त मेमोरेण्डम के अनुसरण में ए.सी.पी. स्वीकृति पर यदि माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन हो तो अवगत करावे।
- 4 उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)